प्रेषक,

आयुक्त एवं महानिरीक्षक
स्टाम्प एवं निबन्धन
उ0प्र0 इलाहाबाद

सेवा में,

1- समस्त उप निबन्धक उत्तर प्रदेश।
2- सहायक/ उप महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

संख्या 165 /कैम्प-लख/स्टाम्प/97-98 दिनांक 19 जनवरी 1998

विषय- उप निबन्धको के द्वारा धारा 47ए के अन्तर्गत सन्दर्भण पर रोक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या क0स0वि0-5-80/11-1998, दिनांक 12-1-1998 की प्रति भेजते हुए आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त शासनादेश का पूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि उक्त शासनादेश से किसी भी निरीक्षण अधिकारी के अधिकारों एवं दायित्यों में कोई कटौती नहीं की गई।

2- उप निबन्धक अब भूमि के हस्तान्तरण से सम्बन्धी किसी विलेख का सन्दर्भण भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47ए के अधीन नही करेगें परन्तु यदि किन्ही मामलों में दस्तावेजी साक्ष्य के आधार वे यह समझतें है कि कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर के अनुसार विलेख द्वारा हस्तांतरित सम्पत्ति का सही मूल्य परिलक्षित नहीं हो रहा है तो ऐसे विलेख के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या अपने सहायक/उप महानिरीक्षक को अविलम्ब उपलब्ध करायेगें तथा सहायक/उप महानिरीक्षक, निबंधन (सहायक/उप आयुक्त, स्टाम्प) ऐसे प्रकरणों में अविलम्ब छानबीन करके स्टाम्प अधिनियमों के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार बहैसियत कलेक्टर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये गये हैं जिनका कड़ाई से अनुपालन किया जाना है।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय
(विजेन्द्र पाल)
महानिरीक्षक निबन्धन
उ0प्र0 इलाहाबाद